न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 13/2017 तारीख रजू:– 18.10.2017

देवीशरण पुत्र कजोडीमल जाति ब्राहामण निवासी दुब्बेपाडा हिण्डौन सिंटी जिला करौली

:– अपीलान्ट

बनाम

1लक्ष्मी देवी वेवा राधेश्याम जाति ब्राहामण निवासी दुब्बेपाडा हिण्डौन सिंटी जिला करौली

2 आयुक्त नगरपरिषद हिण्डौन सिटी जिला करौली

3 सब रजिस्ट्रार हिण्डौन सिटी जिला करौली

–रेस्पोडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 327 राजस्थान नगपालिका अधिनियम 2009 विरूद्व पट्टा क्रमांक 6 दिनांक 29.08.2017 भूमि गैरमुमकिन आबादी कुल क्षेत्रफल 88.35 वर्गगज

निर्णय दिनांक 11.09.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी गुजार ने नगरपालिका अधिनियम 2009 के नियम 327 के तहत नगर परिषद हिण्डौन के पट्टा संख्या 6 दिनांक 29.08.2017 के खिलाफ निगरानी पेश की गई है। जिसमे अनिगरानी गुजार सख्या 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया गया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 327 के तहत पट्टे के खिलाफ सुनवाई का अधिकार श्रीमान को नही होकर स्वास्थ्य शासन विभाग की अधिसुचना कमांक प 8 (ख) नियम/ डी.एल.बी/10 /8226–8427 दिनांक 31.03.2010 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, निदेशक स्वायत शासन सचिव को अधिकार दिया हुआ है। जो श्रीमान को सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त भी नही है। अन्त में प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए इसी स्टेज पर निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी/निगरानीगुजार ने प्रार्थनापत्र का कोई जवाव पेश नही कर सीधे ही बहस चाही गई है।

अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

बकील प्रार्थी/अनिगरानीगुजार ने अपने बहस कथन में कहा की श्रीमान को नगरपालिका के पट्टो की निगरानी सुनने का अधिकार नही है। प्रार्थनापत्र में अंकित आदेशो के मुताबिक सभी अधिकार राज सरकार के आदेश दिनांक 31.03.2010 के अनुसार प्रमुख शासन सचिव, निदेशक स्वायत शासन सचिव को अधिकार दिया हुआ है। ईसी स्टेज पर निगरानी को खारिज फरमाई जावे।

अप्रार्थी/निगरानीगुजार ने अपने बहस कथन मे कहा की नगरपालिका अधिनियम 327 में निगरानी का प्रावधान है। जिसमें राज सरकार को सुनने का अधिकार है। राज सरकार के द्वारा अभि सुनने का अधिकार जिला कलक्टर को समाप्त नही किया गया है। पट्टो को

कमांक प 8 (क) नियम/ डीएलबी/8226 जयपुर दिनारंक 31.03.2010 की प्रति पेश की गई थी जिसमें नगरपालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 327 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसुचना संख्या कमांक प 8 (84) एल.एस.जी. (62) पार्ट 540–784 दिनांक 05.02.1987 को अधिकमित करते हुए राज. सरकार द्वारा धारा 327 में निगरानी सुनने के लिए, प्रमुख शासन सचिव स्वायत शासन एवं नगरीय विकास विभाग, शासन सचिव स्वायत शासन विभाग, निदेशक एवं शासन उप सचिव स्वायत शासन विभाग को अधिकत किया गया है। जिसमें इस धारा में निगरानी सुनने का अधिकार इन्ही को है। जहा पर वकील निगरानीगुजार/अप्रार्थी का कथन था की निगरानी सुनने का अधिकार राज. सरकार को है। ओर ये सभी अधिकार जिला कलक्टर मे समाहित है। वहा पर इस अधिसुचना के खिलाफ कोई आदेश आदि पेश नही कियो गये है। जिससे विदित है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 327 में पट्टे की निगरानी का अधिकार स्वायत विभाग के अधिकारी को ही है। जो अपने आप में इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नही है।

अतः अप्रार्थी/अनिगरानीगुजार नम्बर 1 का प्रार्थनापत्र वॉर्ड वाई लॉ होने पर स्वीकार किया जाता है। तथा निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी उनवानी देवीशरण बनाम लक्ष्मीदेवी मु. नं. 13/17 इसी स्टैज पर खारिज की जाती है। निगरानीगुजार सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने में स्वतंत्र रहेगे । निर्णय की प्रति आयुक्त नगरपरिषद हिण्डौन को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला कलक्टर
करौली